भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1327

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल कृषि मिशन

1327. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्री आनंद भदौरिया:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न डिजिटल कृषि पहलों की सहायता के लिए देश में डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम) शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र में, आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिशन में डिजिटल विभाजन और अवसंरचना अंतराल जैसी कई चुनौतियां हैं क्योकि अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी है और बिजली की आपूर्ति डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा उत्पन्न कर रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि नासकॉम के आंकड़ों के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों के पास डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कौशल की कमी है क्योंकि केवल 2 प्रतिशत भारतीय किसान ही इस क्षेत्र में ऐप्स का उपयोग करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या यह सच है कि डीएएम के अंतर्गत डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्राय: महत्वपूर्ण अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है जो छोटे किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या यह सच है कि देश के विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों और कृषि पद्धतियों के कारण सभी के लिए उपयुक्त समान समाधान विकसित करना चुनौतीपूर्ण हो गया है;

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा डीएएम के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए गए हैं किए जा रहे हैं; और

(ज) क्या सरकार कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए उक्त मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऐप आधारित ऑनलाइन बाजार सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ज): सरकार ने 2 सितंबर, 2024 को 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 54.972 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों को उनके प्रस्तावों के आधार पर फंड जारी किए जाते हैं। इस मिशन का उद्देश्य देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि इकोसिस्टम को सक्षम करना है ताकि अभिनव किसान-केंद्रित

डिजिटल समाधान चलाए जा सकें और देश के सभी किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। इस मिशन में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जैसे कि एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मानचित्र तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली अन्य आईटी पहल। एग्रीस्टैक परियोजना इस मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है, जिसमें कृषि क्षेत्र में तीन मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस अर्थात किसानों की रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गाँव के नक्शे और फसल बोई गई रजिस्ट्री शामिल हैं जो सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाई जाती है और उनका रख-रखाव किया जाता है। सरकार इस मिशन के कार्यान्वन के लिए सभी राज्यों को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। एग्रीस्टैक किसानों के जनसांख्यिकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों पर व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करता है, जिससे किसानों को क्रेडिट, बीमा, खरीद आदि जैसे लाभों और सेवाओं तक पहुँचने के लिए डिजिटल रूप से पहचान और प्रमाणीकरण करने में मदद मिलती है। यह राज्य को ऐसे समाधान तैयार करने में भी सक्षम बनाता है जो किसानों के लिए भरोसेमंद तरीके से इनपुट और उत्पादों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री जैसी डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुँच प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) को कार्यान्वित कर रही है, जो एक वर्चुअल प्लेटफार्म है जो विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की वास्तविक थोक मंडियों/बाजारों को एकीकृत करता है, ताकि पारदर्शी मूल्य निर्धारण पद्धति के माध्यम से कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा मिल सके और किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य मिल सके। 31 दिसंबर, 2024 तक 23 राज्यों और 04 केंद्र शासित प्रदेशों की 1410 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जा चुका है।

*****